



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127916

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 19449 वर्ष 2026

रवि कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : जनार्दन यादव, मणिकांत यादव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उ.प्र. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध सं. 95 वर्ष 2026 अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम, थाना अहिराउला, जिला आजमगढ़ में जमानत पर रिहा करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री की मात्रा 5.150 किलोग्राम गांजा बताई गई है, जो व्यावसायिक मात्रा से कम है। उनका तर्क है कि पुलिस ने जानबूझकर अपराध की गंभीरता बढ़ाने के लिए मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता पर सवाल उठाते हुए अन्य तर्क भी दिए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 के वैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः और भावना से पालन नहीं किया गया है, और इसलिए, कथित बरामदगी की कानूनी वैधता दूषित हो जाती है। अधिवक्ता ने आवेदक को झूठा फंसाए जाने के संकेत देने वाली परिस्थितियों को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आरोपी की ओर से दिए गए तर्कों के दौरान अभियोजन के पीछे दुर्भावना का भी आरोप लगाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 15.4.2026 से जेल में है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के अपराध में संलिप्त होने के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव पर विचार करने के बाद और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध किया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त मामले में आरोपित **रवि कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.दं.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (i) मामले की सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

ललित शुक्ला